नम्बर /वर्ष 672/2021 अनवानी मोहनलाल बनाम किस्तुरचन्द

तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
23/09/25	हमने उभयपक्षों की बहस प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी पर सुनी गई। प्रार्थी/प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया अनवान सदर का दावा न्यायालय में जैरकार है वादवर्णित भूमि के सम्बध मे एक पूर्व वाद इसी न्यायालय मे विचाराधीन था जिसका अन्तिम रूप से निस्तारण दिनांक 28.02.2003 को किया जा चुका है इसी आधार पर प्रस्तगत वाद खारिज किये जाने योग्य एव हस्तगत वाद रेसज्यूडीकेटा से बाधित है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज किया जावे। वादी/अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रिजनेबल ग्राउण्ड पर आधारित नही है ना ही मेन्टेबल है बिना नियम कायदे के पेश किया गया है 11 सीपीसी के प्रावधानो के अनुरूप नही है प्रार्थना पत्र रेसज्यूटीकेटा की परिधी में नही आता है वाद में निर्णय तनकी के आधार पर किया जाना आवश्यक है केवल वाद को देरीना करने के लिये पेश किया गया है प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर वाद में आगामी कार्यवाही फरमावे। हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया वादी के पिता जगनाराम के द्वारा पूर्व में इसी अदालत में अनवानी जगनाराम बनाम नत्थुराम वाद पेश किया गया था जिसमें पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाकर वाद का दिनांक 28.02.2003 का अन्तिम निर्णय किया गया था वादी ने हस्तगत वाद उसी भूमि उन्ही पक्षकारो के मध्य केवल अन्तर इतना है कि पूर्व में जगनाराम व नत्थुराम जीवित थी उनके द्वारा वाद पेश किया गया था अब उनके वारिसान के द्वारा वाद पेश किया गया है पूर्व वाद एव हस्तगत वाद के पक्षकार एवं वाद भूमि एक सामान है जिसके कारण प्रकरण में रेसज्यूडीकेटा आराज होता है वादी पून उन्ही पक्षकारो के मध्य उसी भूमि के सम्बध में उसी प्रकृति का पेश करने का अधिकारी नही है वादी को संख्त चेतावनी दी जाती है कि इस प्रकार के वाद जिसका पूर्व में निस्तारण हो चुका हो उन्ही पक्षकारो के मध्य पेश नही करे जिससे न्यायालय का समय नष्ट होता है जिससे अन्य कास्तकारो का नुकसान होता है अतः प्रार्थी /प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं वाद वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली नम्बर से कम की जावक दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:38:43 IST
Reason: SelfAttested